दिनांक 31.08.2010 को निदेशक उद्योग की अध्यक्षता में सम्पन्न महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्रों की मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थिति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न।

1. (क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम(PMEGP) वर्ष 2010–11 के अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लगभग सभी जिलों में लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि काफी असंतोषजनक हैं। इस पर निदेशक उद्योग द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी महाप्रबंधकों को सख्त निदेश दिया गया कि 15.09.2010 तक हर हाल में लक्ष्य की शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें। इस संबंध में किसी भी प्रकार का बहाना देना अमान्य होगा। समीक्षोपरांत न्यून उपलब्धि प्राप्त करने वाले महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गिरिडीह, चाईबासा एवं पलामू से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी को दिया गया। इस संबंध में सभी उपायुक्तों एवं अग्रणी जिला बैंक प्रबंधकों को भी सचिव उद्योग के निदेशानुसार पत्र निर्गत किया जा रहा है।

(ख) बैठक में महाप्रबंधकों को PMEGP Training हेतु KVIC द्वारा Scrutiny के उपरांत सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों की सूची उपलब्ध कराते हुए उन्हे निदेश दिया कि तत्संबंधी संस्थानों की जाँच कर Status report निदेशालय को उपलब्ध करावें ताकि संस्थानों की गुणवत्ता बरकरार रखने के मद्देनजर इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। इस संबंध में सचिव उद्योग ने बैंकों द्वारा संचालित Training Institute R-SETIs को PMEGP अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु इसे KVIC में सूचीकरण के निमित विहित प्रपत्र आज ही सभी महाप्रबंधकों को हस्तगत कराने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी को देते हुये महाप्रबंधकों को भी निदेश दिया कि वे इसे अपने जिले में स्थापित R-SETIs को उपलब्ध कराते हुए इसे भरवाकर KVIC कार्यालय में जमा करवायेंगे।

(ग) सभी महाप्रबंधकों को निदेश दिया गया कि अब वे केवल शून्य अग्रसारण वाले बैंक शाखाओं में ही नये आवेदन पत्रों को अग्रसारित करेंगे।

(घ) महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र की आगामी मासिक समीक्षात्मक बैठक दिनांक 21.09.2010 को आहूत करने का निर्णय लिया गया।

2. **कार्यालय भवन**–जिला उद्योग केन्द्रों के नये कार्यालय भवन निर्माण के अद्यतन स्थिति की जिलावार समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गुमला द्वारा सूचित किया गया कि सिमडेगा में प्लिंथ से आगे का कार्य प्रगति पर है। महाप्रबंधक साहेबगंज द्वारा सूचित किया गया कि पाकुड़ में कार्यालय भवन तैयार हैं। उन्हे निदेश दिया गया कि वे उपायुक्त से उद्‌घाटन कराते हुए भवन का उपयोग करें। महाप्रबंधक,जिला उद्योग केन्द्र, गोड्डा द्वारा सूचित किया गया भवन का हस्तांतरण हो चुका है। महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, पलामू द्वारा सूचित किया गया कि लातेहार एवं गढ़वा में फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। लातेहार में

Haisl

जिला उद्योग केन्द्र का कार्यालय भवन तैयार नही होता हैं तब तक एक शिविर कार्यालय स्थापित करने के निमित समाहरणालय लातेहार में जगह उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त लातेहार से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पलामू को दिया गया। महाप्रबंधक पलामू को निदेश दिया गया कि उपायुक्त लातेहार से सम्पर्क स्थापित कर गत वर्ष भवन निर्माण हेतु आवंटित राशि की निकासी किये अथवा नही किए जाने के संबंध में सूचना उद्योग निदेशालय को प्रेषित करने का अनुरोध करें। जिन जिलों में भवन निर्माण का कार्य लंबित है, संबंधित उपायुक्तों को सचिव उद्योग के माध्यम से निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने हेतु पत्र प्रेषित करने का निदेश दिया गया। हजारीबाग द्वारा सूचित किया गया कि कोडरमा में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन भवन में लगे खिड़की एव दरवाजा की गुणवत्ता खराब है एवं छत में दरार हो गया हैं। तदुपरांत सचिव उद्योग द्वारा उपायुक्त कोडरमा से दूरभाष पर बात की गई एवं इसे ठीक कराने हेतु उन्हे आवश्यक निदेश दिया गया। चतरा में द्वितीय तल के ढ़लाई का कार्य चलने की सूचना दी गई। रामगढ़ में प्रथम तल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। महाप्रबंधक दुमका द्वारा सूचित किया गया कि पानी की आपूर्ति से संबंधित समस्या का निराकरण कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कर दिया गया है।

3. (क) बैठक में MSME इकाईयों के On line E.M. filing की प्रगति की जिलावार समीक्षा की गई। इस कम में सभी महाप्रबंधको को बारी बारी से On line E.M. filing का अभ्यास कराया गया तथा उन्हे निदेश दिया कि E.M.से संबंधित सभी मामलों की Entry 15.09.2010 निश्चित रूप से पूर्ण कर ले। दिनांक 21.09.2010 को आहूत बैठक में E.M. filing से संबंधित पूर्ण विवरण presentation हेतु Pen drive में लाने का निदेश सभी महाप्रबंधकों को दिया गया।

(ख) महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, लोहरदगा, गुमला एवं गोड्डा द्वारा सूचित किया गया कि उनके यहाँ Jharnet का Connection नही है। फलतः निदेशक उद्योग, ने सभी संबंधित महाप्रबंधकों को निदेश दिया कि NIC से सम्पर्क कर अगले चार दिनों में संबंधित सम्पर्क लाईन प्राप्त कर ले एवं इसकी सूचना तत्काल उन्हे भी उपलब्ध करायें।

(ग) कुछ महाप्रबंधको द्वारा सूचित किया गया कि अनन्त विकास श्रोत, उद्यमी मित्र(NGO) द्वारा त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण रूप से On line E.M. filing किया जा रहा है। इस कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। सचिव उद्योग द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुये संबंधित संस्था द्वारा अब तक किये गये On line E.M. filing की जाँच कर प्रतिवेदन उपस्थापित करने का निदेश महाप्रबंधकों को दिया गया।

4. श्री सूर्यप्रकाश गौड़ NIMSME हैदराबाद द्वारा राज्य के राँची , धनबाद, बोकारों, हजारीबाग तथा पलामू जिलों में खाद्य प्रसंस्करण पर EDP कार्यक्रम चलाये जाने की सूचना दी गई तथा संबंधित महाप्रबंधक से इसमें सहयोग करने का अनुरोध किया गया।

5. स्थापना–(क) जिला उद्योग केन्द के स्तर पर कार्यरत कर्मियों को ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 का लाभ दिये जाने के विषय पर चर्चा की गई। इस संबंध में सचिव उद्योग द्वारा सभी महाप्रबंधकों को निदेश दिया गया कि वे अपने अधीनस्थ कार्यरत कर्मियों से संबंधित वांछित सूचना विहित प्रपत्र में निदेशालय को दिनांक 08.09.2010 तक निश्चित रूप से उपलब्ध करावें ताकि संबंधित कर्मियों को ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 योजना के वित्तीय उन्नयन का लाभ शीघ्र दिये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

6. बैठक में सभी तरह के न्यायालयवाद एवं अवमाननावाद का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करने का निदेश सभी महाप्रबंधकों को दिया गया। लंबित वादो की विवरणी प्रतिमाह निदेशालय को उपलब्ध कराने का भी निदेश दिया गया।

7. माह नवम्बर में झारखण्ड उद्योग मेला तथा नई दिल्ली में 14–27 नवम्बर 2010 तक आयोजित होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेंला की तैयारी के विषय पर चर्चा की गई। इस हेतु राज्य के उत्कृष्ट उत्पादों को प्रदर्शित करने तथा उनके विपणन के निमित उत्पादों की सूची मात्र महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, धनबाद / चाईबासा / राँची एवं हजारीबाग द्वारा उपलब्ध कराया गया। फलतः निदेशक उद्योग द्वारा शेष महाप्रबंधकों को निदेश दिया गया कि दिनांक 04.09.2010 तक वांछित सूचनाऐं निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

8. सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को औद्योगिक गणना मद में उपलब्ध कराई गई राशि का मूल प्रमाणक शीघ्र निदेशालय में प्रेषित करने का निदेश दिया गया जिससे कि इसका डी0सी0 विपत्र निदेशालय स्तर से महालेखाकार कार्यालय को भेजा जा सकें।

9. सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को निदेश दिया गया कि उनके द्वारा अग्रिम निकासी की गई राशि का डी0सी0 विपत्र महालेखाकार कार्यालय को शीघ्र भेजते हुए इसका शीघ्र समायोजन करायें तथा इससे उद्योग निदेशालय को अवगत करायें। इस संबंध में वें श्री के0एन0 प्रसाद,लेखा पदाधिकारी, उद्योग विभाग तथा उप सचिव उद्योग का सहयोग प्राप्त करें।

10. सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र अपने कार्यालय में लंबित अनुदान आवेदनों से निदेशालय का शीघ्र अवगत करायें।

11. राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु लघु औद्योगिक इकाईयों द्वारा आवेदन दिनांक 15.09.2010 तक जिडको राँची को प्राप्त हो जाना चाहिए। तदनुसार आवश्यक निदेश सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को दिया गया।

ज्ञापांक 2078 राँची, दिनांक 15.09.2010
प्रतिलिपिः संयुक्त उद्योग निदेशक / सभी उप उद्योग निदेशक,उद्योग निदेशालय,झारखण्ड, राँची / सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Maisl
निदेशक उद्योग

ज्ञापांक 2078 राँची, दिनांक 15.09.2010
प्रतिलिपिः सचिव उद्योग , झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ अग्रसारित।

Maisl
निदेशक उद्योग

Dic.meeting